ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

डीजी-परिपत्र संख्या-61/2018

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलकमार्ग, लखनऊ।

दिनांक : लखनऊः नवम्बर 23, 2018

विषयः कच्छा बनियान धारी/घुमक्कड़ अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डकैती एवं लूट की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनमें अपराधी घटना के समय सामान्यतया कच्छा बनियान पहने रहते हैं। ऐसी घटनाएं प्रायः नगरों एवं कस्बों तथा कभी-कभी ग्रामीण अंचल के बाहरी हिस्सों में स्थित आवासीय क्षेत्रों में घटित होती हैं। अपराध के दौरान इन अपराधियों द्वारा कुन्द वस्तुओं को हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। परन्तु कभी-कभी अपराधियों द्वारा आग्नेयास्त्रों का भी प्रयोग किया जाता है। प्रायः अपराधियों द्वारा विशेष रूप से जाड़े/बरसात के महीनों में ऐसे अपराधों को कारित करने की सम्भावनाएं अधिक रहती हैं।

आप सहमत होंगे कि प्रायः रात्रि के समय आपराधिक तत्वों की सक्रियता बढ़ जाती है। फलस्वरूप चोरी, लूट, डकैती आदि की घटनाएं घटित होती हैं, जिसके कारण जनमानस में असुरक्षा की भावना बलवती होती है तथा पुलिस के प्रति आक्रोश भी उत्पन्न होता है। इसलिए आवश्यक है कि रात्रि में पुलिस की सक्रियता बढ़ाकर एक ओर जहाँ अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण पाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर जनमानस में सुरक्षा की भावना भी सुदृढ़ की जा सकती है। इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु मुख्यालय स्तर से समय-समय पर पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत किये गये हैं।

परिपत्र सं0-डीजी-67/2007 दि0 20.08.2007
परिपत्र सं0-डीजी-01/2010 दि0 15.01.2010
परिपत्र सं0-डीजी-12/2011 दि0 28.05.2011
परिपत्र सं0-डीजी-47/2016 दि0 03.08.2016

इन घुमक्कड़ अपराधियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में घूम-घूम कर आपराधिक घटनाएं की जाती हैं। ऐसे अपराधी अपने स्थायी ठिकानों को छोड़कर अल्प अवधि के लिए किसी दूसरे शहर या कस्बे में जा कर निवास करते हैं। जिससे पुलिस का ध्यान उनपर से हट जाए। कभी-कभी यह अपराधी छोटे-मोटे घरेलू सामान, खिलौने आदि बेचने का कार्य करते हैं अथवा भिक्षा मांगने के रूप में भेष बदलकर घूम फिर कर किसी इलाके में जानकारी करके अपने द्वारा किये जाने वाले अपराध को चिन्हित कर लेते हैं तथा मध्य रात्रि या जैसी परिस्थितियां होती हैं, के अनुरूप अपराध करते हैं। घटना कारित करने के उपरान्त प्रायः यह अपराधीगण एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कुछ घटनाओं में इन अपराधियों द्वारा छोटे मझोले वाहनों का भी प्रयोग किया जाता है। यह अपराधी अपने निवास स्थान से काफी दूर जाकर इस प्रकार की घटनाओं को कारित करते हैं। इस प्रकार के अपराधों का घटित होने पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों के लिए इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अपराधियों का सही पता लगाकर सफलतापूर्वक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण किया जाना कठिन होता है।

ऐसे अपराधों तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु कतिपय सुझाव अनुवर्ती प्रस्तरों में अनुपालनार्थ सुझाये गये हैं:-

- विगत 10 वर्षो में इस प्रकार की घटित घटनाओं में प्रकाश में आये अपराधियों के विरूद्ध नये सिरे से जानकारी की जाए तथा उनकी सक्रियता पाये जाने पर उनके विरूद्ध शत-प्रतिशत कार्यवाही की जाए।
- रात्रि में प्रत्येक थाना क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में गस्त निकाला जाए। गस्त पर उनकी उपलब्धता एवं सक्रियता की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करे। संवेदनशील राजमार्गो पर गश्त हेतु पर्याप्त संख्या में पेट्रोलिंग वाहन लगाए जाए तथा संवेदनशील बिन्दुओं पर सुदृढ़ पुलिस पिकेट लगायी जाए।
- रात्रि गश्त हेतु थानों एवं चौकियों में प्राथमिकता के आधार पर स्टाफ की रिक्तियों की पूर्ति की जाए। थानों एवं चौकियों के मध्य वायलेस एवं बेहतर संचार व्यवस्था की जाए। जिन थाने/चौकियों पर पर्याप्य जनशक्ति/संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनकी पूर्ति अन्य थानों से की जाए।

Scanned by CamScanner

- ऐसे अपराधियों के रहने एवं रूकने के ठिकानों के सम्बन्ध में छानबीन करायें। विशेष रूप से शहरों के बाहरी इलाकों, रेलवे लाइन एवं सड़कों के आस-पास लगे अस्थायी डेरों पर भी चेकिंग करायी जाए। लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के अलावा शहरों के बाह्य इलाकों एवं सड़कों के आसपास ऐसे इलाकों में जहां आबादी कम हो आने जाने वाले रूकने वाले व्यक्तियों के विषय में एवं सड़कों के किनारे स्थित ढाबों पर नजर रखी जाए एवं समय-समय पर इस दृष्टि से चेकिंग भी करायी जाए।
- ऐसे इलाके जो इस प्रकार के अपराधों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील/सम्भावित हो सकते हों, में प्रभावी गश्त की व्यवस्था करायी जाए।
- ऐसे अभ्यस्थ अपराधियों के जमानतदारों का पता लगाकर उनके विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही की जाए।
- जनपदों में ऐसे आवासीय क्षेत्र जो शहर से बाहर हों एवं अपराध की दृष्टि से संवेदनशील हों तो उन स्थानों पर विशेष रूप से रात्रि 12 बजे से 5 बजे के मध्य प्रभावी गश्त की व्यवस्था करायी जाए।
- सुनसान इलाकों में खडे वाहनों की चेकिंग की जाए, जिनका प्रयोग घुमक्कड अपराधियों द्वारा घटनाएं कारित करने के बाद किया जा सकता है।
- ढाबा एवं एकान्त में खड़े ऐसे बड़े वाहनों की चेकिंग करायी जाये और देखा जाये कि वाहन में कोई सीक्रेट कम्पार्टमेन्ट/चेम्बर तो नही बनाये गये है यदि बने हों तो उनमें देखा जाये कि अवैध वस्तु आदि तो नही है।

उपरोक्त दिशा-निर्देश इस परिप्रेक्ष्य में केवल सामान्य मार्ग-दर्शन के लिए है, इसके अलावा आप अपने जनपदों की आपराधिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अपराध नियन्त्रण की दिशा में अन्य आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप कृपया उपरोक्त निर्देशों का स्वयं अध्ययन कर लें तथा अपने अधीनस्थ नियुक्त सभी राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वह ऐसे प्रकरणों में पूर्ण संवदेनशीलता बरतें एवं इन घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मुझे विश्वास है कि आप इस प्रकार से अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफल हो सकेगें। कृपया इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण मनोयोग से सम्पादित करें।

भवदीय,

24/11/18

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

24/11

Scanned by CamScanner